

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

आदेश

संख्या-01/स्था0 सा0-विविध-65/2004-.....3871...../न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक-

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 631 दिनांक 30.01.2018 द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत श्री राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव के दिनांक 31.07.2018 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के आलोक में उक्त आदेश में संशोधन करते हुए बिहार कोषागार संहिता 2011 के अध्याय-4 के अनुभाग-2 के उप अनुभाग-1 के नियम 84 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2018 के प्रभाव से मांग संख्या-48 के अन्तर्गत स्कीम, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निम्नलिखित बजट शीर्षों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में श्री सर्वेन्दु कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

1. 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
2. 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
3. 2013-मंत्रिपरिषद् एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
4. 2217-शहरी विकास एवं इससे इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
5. 8009-सामान्य भविष्य निधियाँ एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
6. 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
7. 2215-जलापूर्ति तथा सफाई एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
8. 2015-निर्वाचन एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
9. 8011-गुप बीमा सह बचत योजना एवं इससे संबंधित उपशीर्ष, लघुशीर्ष आदि।
10. लेखा बुडा (बिहार शहरी विकास अभिकरण)।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 सा0-विविध-65/2004-...../न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (राज0)-18/2018-...../न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (राज0)-18/2018-.....3871...../न0वि0आ0वि0, पटना, दिनांक- 24/7/18
प्रतिलिपि:-सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री रामसेवक प्रसाद, अवर सचिव/श्री सर्वेन्दु कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 31.07.2018 को श्री सर्वेन्दु कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को विभागीय लेखा से संबंधित कैश बुक इत्यादि का प्रभार सौंप देंगे।

सरकार के प्रधान सचिव।